"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13] रायपुर, सोमवार, दिनांक 30 जनवरी 2012—माघ 10, शक 1933

परिवहन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 जनवरी 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-2/आठ-परि./2012.—छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2011 (क्र. 24 सन् 2011) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, 1 फरवरी 2012 को उक्त अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि नियत करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विलियम कूजूर, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 जनवरी 2012

क्रमांक एफ 5-2/आठ-परि./2012.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 30-01-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विलियम कूजूर, उप-सचिव.

Raipur, the 30th January 2012

NOTIFICATION

No. F 5-2/VIII-Tr./2012.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 1 of the Chhattisgarh Motoryan Karadhan (Sanshodhan) Adhiniyam, 2011 (No. 24 of 2011), the State Government, hereby, appoints the 1st February, 2012 as the date on which the said Act shall come into force.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
WILLIAM KUJUR, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.